फर्द अहकाम

पूरणमल बनाम सरकार जरिये तहसीलदार

नाम न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी फागी
केस संख्या :– 77/2024

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25.06.2024	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत प्रार्थी पूरणमल रैगर पुत्र केसरलाल रैगर नि0 मैन्दवास तह0 फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने बताया की वाके ग्राम मैन्दवास के खाता सं0 251, 252 मे प्रार्थी का नाम पूर्ण पुत्र केसरा अंकित है जबकि उनके समस्त दस्तावेजात मे पूरणमल पुत्र केसरा अंकित है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त के सम्बन्ध मे तहसीलदार फागी ने अपने जबाब मे खाता सं0 251 में पूर्ण पुत्र केसरा रैगर के स्थान पर पूरणमल पुत्र केसरलाल रैगर शुद्व किया जाना उचित बताया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट पूर्ण पुत्र केसरा व पूरणमल पुत्र केसरलाल एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे पूर्ण पुत्र केसरा के स्थान पर पूरणमल पुत्र केसरलाल दुरूस्त करवाना चाहता है। तहसीलदार फागी द्वारा भी अपने जबाब मे खाता सं0 251 मे पूर्ण पुत्र केसरा के स्थान पर पूरणमल पुत्र केसरलाल दुरूस्त किया जाना उचित बताया है। पूर्ण पुत्र केसरा के स्थान पर पूरणमल पुत्र केसरलाल एक ही व्यक्ति होने के कारण दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर खाता सं0 251 वाके ग्राम मैन्दवास तहसील फागी जिला दूदू स्थित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन पूर्ण पुत्र केसरा के स्थान पर पूरणमल पुत्र केसरलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफतर रहे। 25/6/24 उपखण्ड अधिकारी फागी,जिला-दूदू	